IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या 3041 /ए0वाई0/09 दिनांक 23-09-2021

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त, अयोध्या द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोपरान्त में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना का नाम	परियोजना की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक
1	199034	जनपद-सुल्तानपुर के लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में अल्प आय वर्ग (29/60) के 21 नग फिनिश्ड भवनों का निर्माण कार्य	132.54	684/15/2021-22

1. कार्य की ई-निविदा का नियमानुसार व्यापक-प्रसार कराते हुए परिषद की बेवसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3. परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
4. स्वीकृत परिकल्पना की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य परिषद की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही कराया जायेगा।
6. प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों को अधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
7. कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सक्षम स्तर/परिषद में एप्रूव्ड ब्राण्ड के अनुसार प्रयोग की जाये। यदि किसी सामग्री का परिषद द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड नही है तो कम से कम तीन ख्याति प्राप्त निर्माताओं की सामग्री का उल्लेख बी0ओ0क्यू0 में अवश्य किया जाये।
8. परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9. खण्ड द्वारा लेबर सेस व जी0एस0टी0 आदि की धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
10. एन0जी0टी0 सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन किये जाने का उत्तदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
11. कार्य 09 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
12. निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
13. निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता का अवश्य परीक्षण करा लिया जाये एवं उचित गुणवत्ता के पानी का प्रयोग किया जाये।

14- आवास आयुक्त (महो0) द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि **"प्रश्नगत प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि खोले जाने वाले पंजीकरण के सापेक्ष, प्राप्त वैध आवेदकों की संख्या के आधार पर, आवश्यक धनराशि, अद्योहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्गत की जाये।"**

15- प्रश्नगत कार्य का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट में कर लिया जायेगा।

23/09/2021

(के0पी0 त्रिपाठी)

अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)

पृ0सं0 3041 /ए0वाई0/09 दिनांकः 23-09-2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-02, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या।
4. गार्ड फाइल हेतु।

23/09/2021

अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)

D:\Sanjay sir\sanjay gupta\Sanjay Gupta\S.G AA Pras.doc- 151 -